# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0/1326/2023 दिनांकः–21 अप्रैल, 2023

सेवा में, अनुस्मारक/समयबद्ध महत्वपूर्ण

प्राचार्य/प्राचार्या
राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
राजा महेन्द्र प्रताप सिहं राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

**विषय– वित्तीय वर्ष 2022–23 की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की रिपोर्ट तथा अन्य सूचना भेजने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पत्र संख्याः–आर0एम0पी0यू0/एन0एस0एस0/53/2023 दिनांकः–08 अप्रैल, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें निम्नाकिंत सूचना/रिपोर्ट 15 अप्रैल, 2023 तक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई थी।

(1) वित्तीय वर्ष 2023–24 की राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत छात्र/छात्राओं का पंजीकरण शुल्क जमा करना।

(2) छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर करने के उपरान्त उसकी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करना।

(3) सामान्य शिविर /एक दिवसीय कार्यक्रम की रिपोर्ट (एक दिवसीय कार्यक्रम की 4X2 = 8 पृष्ठ) तथा प्रत्येक दिन की कम से कम 4 फोटो एवं न्यूज पेपर की क्लिपिंग के साथ साफ्ट कापी में ई मेल करना तथा हार्ड कापी में विश्वविद्यालय में जमा करना।

(4) विशेष शिविर की रिपोर्ट कम से कम 21 पेज में, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों को 02 पृष्ठ में (7X2 = 14पृष्ठ) तथा प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर की कटिंग (04 फोटो प्रति पृष्ठ x 7 पृष्ठ) के साथ सॉफ्ट कापी में ई मेल करें तथा हार्ड कापी विश्वविद्यालय में एक हफ्ते के अन्दर जमा करें।

(5) रोड सेफ्टी क्लब के गठन की रिपोर्ट तथा रोड सेफ्टी माह की रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में जमा करना।

(6) विशेष शिविर लगाने के पश्चात आयोजित (एक दिवसीय शिविर में नॉन स्टूडेंट सर्वे के लिए दिये फार्म भरवाने की) रिपोर्ट भी प्रेषित करें।

परन्तु स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। उपरोक्त सूचना/रिपोर्ट कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अभी तक ई मेल पर नहीं भेजी गई है और हार्ड कॉपी भी जमा नहीं की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य को अतिशीघ्र 25 अप्रैल 2023 तक प्रेषित कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को ससमय सूचना उपलब्ध करायी जा सके।

सलंग्नकः– यथोपरि।

भवदीय
21/4/23
(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
02. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, आर0एम0पी0यू0, अलीगढ़
03. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, सम्बद्ध महाविद्यालय, आर0एम0पी0यू0, अलीगढ़
04. गार्ड फाइल।

21/04/23
सहा0 कुलसचिव

# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

nssrmpssuniversity@gmail.com Mob. No. 7302632933

पत्रांक:–आर0एम0पी0यू0/एन0 एस0 एस0/ 57 /2023 दिनांक:– 08 अप्रैल, 2023

प्राचार्य/प्राचार्या
राजकीय अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
राजा महेन्द्र प्रताप सिहं राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

विषय– राष्ट्रीय सेवा योजना नियमित तथा विशेष शिविर कार्यकमों के अन्तर्गत अवमुक्त अनुदान के मानक (ब्रेक–अप) तथा रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–28/सत्तर–रा0से0यो0को0–2023, दिनांक 06 मार्च, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिन महाविद्यालयों के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयों का संचालन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में सभी महाविद्यालयों द्वारा अनुदान राशि को निम्नवत मदवार खर्च की जानी है–

| | | |
|---|---|---|
| 1.राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई स्तर पर नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध रू0 345 प्रति छात्र की दर से उपलब्ध धनराशि निम्न सीमा तक व्यय की जाये। | 60/– | (क) अंशकालिक कार्यकम अधिकारी को आउट आफ पाकेट एलाउन्स–500 रुपये अधिकतम प्रतिमाह |
| | 22/– | (ख) अंशकालिक लिपिक को मानदेय –185 रुपये अधिकतन प्रतिमाह |
| | 15/– | (ग) अंशकालिक चपरासी को मानदेय–125 रुपये अधिकतन प्रतिमाह |
| | 30/– | (घ) आवश्यक उपकरणों की खरीद |
| | 30/– | (ड़) फ़ोटो/स्टेशनरी/पोस्टेज/डाक्यूमेंटेशन (रिपोर्टिंग आदि) पर |
| | 13/– | (च) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यकमाधिकारी के बैठकों, प्रशिक्षण कार्यकम आदि में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय पर |
| | 80/– | (छ) नियमित कार्यकन के अन्तर्गत के अन्तर्गत अभिगृहीत ग्राम/मलिन बस्ती में एक दिवसीय शिविरों के आयोजन हेतु रू0 20/– प्रति शिविर प्रति छात्र की दर से जलपान इत्यादि। |
| | 90/– | (ज) सरकार द्वारा देय अभियान तथा जन जागरूकता रैलियों का आयोजन वृक्षारोवण रक्तदान युवा सप्ताह र्प्यावरण दिवस मतदाता जागरूकता सड़क सुरक्षा, स्वच्छता कार्यकम तथा विभिन्न दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यकमों (रा0से0यो दिवस गांधी जयन्ती योग दिवय) आदि कार्यकमों के बैनर, जलपान एवं अन्य |
| | 5/– | (झ) आनुषांगिक व्ययों हेतु |

2. आवंटित छात्र संख्या का 50 प्रतिशत छात्रों की भागीदारी विशेष शिविर कार्यक्रम में होगी। विशेष शिविर के अन्तर्गत दिन व रात मिलाकर आयोजित होने वाले सात (07) दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम पर 700 रूपये प्रति छात्र प्रति विशेष शिविर की दर से अनुदान रा0से0यो0 के स्वयंसेवियों के भोजन, आवास यातायात एवं शिविर के अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था पर व्यय किया जाये। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार विशेष शिविरों का आयोजन मात्र दिवसीय शिविर के रूप में सामान्यतः नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में दिवसीय शिविर शासन की पूर्वानुमति के पश्चात ही आयोजित किये जा सकते है। जिसमें रू0 20/– प्रति स्वयंसेवी प्रतिदिन के दर से व्यय किया जा सकता है। रा0से0यो0 की प्रत्येक इकाई द्वारा अलग–अलग ग्राम/मलिन बस्ती का चयन/अभिग्रहण किया जाये तथा चयनित बस्ती ग्राम की दूरी संस्था से 8 किमी से अधिक न हो। विशेष शिविर में सभी शिविरार्थियों की उपस्थिति शिविर के पहले दिन से मध्यानः 12:00 बजे से शिविर के अन्तिम दिन (सायंकाल 04:00 बजे तक) आवश्यक है ऐसा न होने पर शिविर निरस्त किया जा सकता है। साथ ही विशेष शिविर के आयोजन की पूर्व सूचना निर्धारित प्रपत्र पर 07 से 15 दिन पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय को रा0 से0 यो0 की वेबसाइट – uponlinenss.upsdc.gov.in एवं अपने कार्यक्रम समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ तथा उ0प्र0 शासन को प्रेषित करनी आवश्यक है। वेबसाइट पर प्रत्येक दिन स्वयंसेविकों/स्वयंसेविकाओं की उपस्थिति एवं कार्यक्रम के छाया चित्र अपलोड करने होगें। ऐसा न होने पर विशेष शिविर का आयोजन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

3. उपरोक्त व्यय की मदों हेतु निर्धारित धनराशि उक्त मदों पर होने वाली व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा है। व्यय मितव्ययता के आधार पर किया जायेगा। उक्त मदों में बचत करके आवश्यकतानुसार कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य मदों में भी धनराशि व्यय की जा सकती है। रा0से0यो0 अधिकतम 01 लिपिक व 02 अनुसेवक से अधिक सम्बद्ध न किये जायें।

4. संस्थागत स्तर पर रा0से0यो0 के कार्यक्रमों के संचालन के लिए पृथक कार्यालय/स्टोर कक्ष तथा अन्य आवश्यक संरचनात्मक सुविधाएं व फर्नीचर इत्यादि सम्बन्धित संस्था तथा उपलब्ध करायी जाये। रा0से0यो0 के मद से खरीदी गयी सामग्रियों/उपकरणों आदि के लिए उपभोग्य (कन्जूमेबल) तथा अनुपभोग्य (नान कन्जूमेबल) दो प्रकार के स्टाक रजिस्टर बनाये जायें तथा संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित समिति के माध्यम से वर्ष में कम से कम एक बार स्टोर का भौतिक सत्यापन कराया जाये । क्रीत सामग्रियों के बाउचर इत्यादि अभिलेख संस्था/इकाई स्तर पर ही सुरक्षित रखे जाये तथा बाउचरो का सत्यापन व्यय करने वाले सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाये। आडिट के समय रोकड़ पुस्तक सहित सभी लेखा पुस्तकें व बाउचर प्रस्तुत किये जाये। आडिट के पश्चात लेखा पुस्तके व बाउचर इत्यादि पुनः महाविद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाये।

5. राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दिवसीय शिविर /कार्यक्रम की सूचना पूर्व में ही समन्वयक, रा0से0यो0 को भेजी जाये तथा वेबसाइट पर आयोजित करने से पूर्व अपलोड की जाये, कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले स्वयंसेवक/स्वयंसेविकाओं की उपस्थिति की सूचना एवं छाया–चित्र कार्यक्रम के दिन ही वेबसाइट पर अपलोड किये जाने आवश्यक है।

6. कृपया कार्यक्रम अधिकारी उपरोक्त अनुसार बिल वाउचर शीघ्र करने का कष्ट करें। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत छात्र छात्राओं का पंजीकरण शुल्क 2 कार्य दिवस में जमा करें जिससे कि शासन को भेजा जा सके।

छात्र छात्राओं का आनलाइन पंजीकरण एन0एस0एस0 पोर्टल पर करवाये और उसकी हार्ड कापी एक हफ्ते में विश्वविद्यालय में जमा करें। सामान्य शिविर/एक दिवसीय कार्यक्रम की रिर्पोट दो पृष्ठ (4X2 = 8) तथा प्रत्येक दिन की कम से कम 4 फोटो एवं न्यूज पेपर की क्लिपिंग के साथ सॉफ्ट कापी में nssrmpssuniversity@gmail.com पर ईमेल तथा हार्ड कापी में विश्वविद्यालय में एक सप्ताह में जमा करना आवश्यक है। विशेष शिविर के आयोजन करने के उपरान्त कम से कम 21 पेज की विस्तृत रिपोर्ट जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों को 02 पृष्ठ (7X2 = 14पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर की कटिंग के साथ (04 फोटो प्रति पृष्ठ X 7 पृष्ठ) सॉफ्ट कापी में nssrmpssuniversity@gmail.com पर ई मेल तथा हार्ड कापी विश्वविद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर जमा करना आवश्यक है। रोड सेफटी क्लब के गठन की रिपोर्ट तथा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट भी सॉफ्ट कापी में nssrmpssuniversity@gmail.com पर ईमेल तथा हार्ड कापी में विश्वविद्यालय में एक सप्ताह में जमा करना आवश्यक है। भारत सरकार के निद्रेशानुसार विशेष शिविर तथा उसके उपरान्त के बाद एक दिवसीय शिविर में किये गये नॉन स्टूडेण्ट सर्वे (राष्ट्रीय सेवा योजना प्रति इकाई 1000 सर्वे फॉर्म) की रिपोर्ट भी अधोहस्ताक्षरी को शीध ईमेल करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(प्रो0 नीता वार्ष्णेय)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना,
आर0एम0पी0यू0, अलीगढ़

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
02. कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
03. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
04. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उ0 प्र0 शासन।
05. गार्ड फाइल।

(प्रो0 नीता वार्ष्णेय)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना,
आर0एम0पी0यू0, अलीगढ़